

सीएसआईआर - केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी

सं.4/3-2(1)2014-स्था.।

दिनांक: 12.11.2021

कार्यालय - ज्ञापन


विषय: संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के संबंध में।

निदेशक, सीएसआईआर - सीरी, पिलानी ने संस्थान में दिनांक 31.12.2021 तक अर्ह कार्यरत कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन प्रदान करने हेतु गठित विभागीय छंटनी समिति की बैठक दिनांक 22.10.2021 व 12.11.2021 में की गयी संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके सम्मुख दर्शाये गए पे - लेवल में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (MACP) के अंतर्गत अगले उच्चतर पे - लेवल में स्थापन करने की सहर्ष अनुमति प्रदान कर दी है:

क्र.सं.	नाम, पदनाम तथा वेतनमान	सेवा का विवरण	वित्तीय उन्नयन की प्रस्तावित तिथि एवं वेतन लेवल	टिप्पणी
1.	स्व. श्री राजेश मीणा, सहा. अनु. अधिकारी (सा.) वेतन लेवल-7	कनिष्ठ स.स. (सा.)- 18.06.1996 वरिष्ठ स.स. (सा.)- 28.01.2003 सहायक अ.अ (सा.)- 06.08.2009	06.08.2019 वेतन लेवल-8	3 rd Financial Upgradation
2.	श्री किशन लाल, एम.टी.एस वेतन लेवल-2	एम.टी.एस. - 07.10.1999 एम.टी.एस. (MACP)- 07.10.2009	07.10.2019 वेतन लेवल-3	2 nd Financial Upgradation
3.	श्री हेमन्त शर्मा, एम.टी.एस वेतन लेवल-1	एम.टी.एस. - 09.03.2010	09.03.2020 वेतन लेवल-2	1 st Financial Upgradation
4.	श्री रवि तंवर, एम.टी.एस वेतन लेवल-1	एम.टी.एस. - 20.09.2010	20.09.2020 वेतन लेवल-2	1 st Financial Upgradation
5.	श्री लीला राम, सहा. अनु. अधिकारी (वि एवं ले.) वेतन लेवल-7	कनिष्ठ स.स. (सा.)- 12.01.1999 वरिष्ठ स.स. (सा.)- 28.12.2004 सहायक अ.अ. (वि एवं ले.) - 13.10.2010	13.10.2020 वेतन लेवल-8	3 rd Financial Upgradation
6.	श्री मनीष कुमार, सहा. अनु. अधिकारी (भ.एवं क्रय) वेतन लेवल-7	सहायक अ.अ. (भ.एवं क्रय) - 16.11.2010	16.11.2020 वेतन लेवल-8	1 st Financial Upgradation
7.	श्रीमती सुलोचना शर्मा सहा. अनु. अधिकारी (वि एवं ले.) वेतन लेवल-7	कनिष्ठ स.स. (सा.)- 27.07.1998 वरिष्ठ स.स. (सा.)- 27.01.2003 सहायक अ.अ. (वि एवं ले.)- 30.12.2011	30.12.2021 वेतन लेवल-8	3 rd Financial Upgradation
8.	श्रीमती पी. शशिरेखा सहा. अनु. अधिकारी (सा.) वेतन लेवल-7	कनिष्ठ स.स. (सा.)- 21.06.2002 वरिष्ठ स.स. (सा.)- 11.10.2006 सहायक अ.अ (सा.)- 30.12.2011	30.12.2021 वेतन लेवल-8	3 rd Financial Upgradation

संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (MACP) के तहत वित्तीय उच्चीकरण नितांत व्यक्तिगत हैं और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार कनिष्ठ कर्मचारियों के संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (MACP) के अंतर्गत पे बैंड/ ग्रेड पे मिल जाने पर वरिष्ठ कर्मचारियों को इस आधार पर वित्तीय उच्चीकरण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (MACP) के अंतर्गत वित्तीय उच्चीकरण पर कर्मचारी को वेतन एफ.आर. 22 (1)(a)(1) प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा। उच्चतर पे - लेवल में वेतन निर्धारण के लिए कर्मचारी को एक माह के अंदर विकल्प देना होगा कि उनका वेतन उच्चीकरण की तिथि से अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि से सामान्य नियमों के अंतर्गत एफ.आर. 22 के प्रचलित प्रावधान के अनुसार निर्धारण किया जाए और विकल्प न देने की स्थिति में वेतन वित्तीय उच्चीकरण की तिथि से निर्धारित किया जाएगा।


(कृष्ण राज सिंह)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सभी संबंधित कर्मचारी
2. स्थापना-II अनुभाग, बिल अनुभाग तथा वित्त एवं लेखा अनुभाग
3. कार्यालय - निदेशक/ प्रशासनिक अधिकारी
4. सूचना पट्ट